

## अध्याय IV: आयकर

### 4.1 प्रस्तावना

4.1.1 यह अध्याय 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षित आयकर से संबंधित निर्धारणों की लेखापरीक्षा के परिणामों की चर्चा करता है। गैर-निगमित निर्धारितियों द्वारा वि.व. 2016-17 के दौरान कुल 4,36,89,274 आयकर विवरणियां<sup>88</sup> फाइल की गई थी। आयकर विभाग ने वि.व. 2016-17 या इससे पूर्व के वर्षों में उन इकाइयों में कुल 2,61,535 गैर-निगमित संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किए जिनकी लेखापरीक्षा 2017-18 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान की गई थी। 2,61,535 गैर-निगमित संवीक्षा निर्धारणों में से, हमने 2,13,838 गैर-निगमित संवीक्षा मामलों की जांच की तथा 12,128 निर्धारणों में चूकें पाई। लेखापरीक्षा में 2017-18 के दौरान जांच किए गए गैर-निगमित संवीक्षा निर्धारणों में चूक के मामले 5.67 प्रतिशत थे। त्रुटियों की प्रकृति एएसटी में मानवीय हस्ताक्षेप की ओर संकेत करती है। विभाग को ऐसी त्रुटियों की जांच करने तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

4.1.2 अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2018 के दौरान कुल 132 उच्च मूल्य के आयकर मामले मंत्रालय को संदर्भित किए गए। इनमें से, 123 मामलों में ₹ 320.94 करोड़ का कम प्रभार शामिल था तथा नौ मामले ₹ 10.12 करोड़ के अधिक प्रभार वाले थे। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग द्वारा किए जा रहे निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमी का संकेत देते हैं। ऐसी चूकों को पुराने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी बार-बार बताया गया है। लेखापरीक्षा विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या की गई अथवा हुई चूक ध्यान में आए अनियमितताओं के दृष्टांत हैं जिसमें की गयी चूकों वाले मामलों में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए।

4.1.3 चूकों की श्रेणियों को व्यापक रूप में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारणों से वंचित आय
- अन्य-कर/ब्याज का अधिक प्रभार आदि

<sup>88</sup> स्रोत: आयकर (प्रशासन एवं करदाता सेवाएं), अन्वेषण एवं सांख्यिकीय विंग के प्रधान महानिदेशालय

आयकर अधिनियम, 1961 की धाराएं 234ए, 234बी, 234सी तथा 244ए के तहत ब्याज की संगणना के संदर्भ में निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) मॉड्यूल/इनकम टैक्स बिजनेस एप्लिकेशन (आईटीबीए) में देखी गई कमियां इस अध्याय के पैरा 4.2.4 में बताई गई हैं। इस प्रतिवेदन की तालिका 2.10 (पैरा 2.4.4) निर्धारणों तथा उनके कर प्रभाव में चूकों की व्यापक श्रेणियों का विवरण दर्शाती है। आयकर विभाग को एएसटी के माध्यम से ब्याज की संगणना में त्रुटियों विशेषकर उच्च अधिकारी के अनुमोदन के बिना आईटी सिस्टम में विद्यमान हाथ से किए गए आशोधन अनुमत करने के कारणों की जांच करने की आवश्यकता है। सिस्टम के माध्यम से सृजित करमांग की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एएसटी में त्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता है।

**4.1.4** मंत्रालय ने ₹ 142.59 करोड़ के कर प्रभाव (टीई) सहित 71 मामलों में अपनी स्वीकृति दी है। मंत्रालय ने ₹ 1.0 करोड़ के कर प्रभाव वाले एक मामले को स्वीकार नहीं किया है। शेष 60 मामलों में, आयकर विभाग ने ₹ 56.95 करोड़ के कर प्रभाव वाले नौ मामलों को स्वीकार किया है जबकि ₹ 0.30 करोड़ के कर प्रभाव वाले एक मामले को स्वीकार नहीं किया (इस प्रतिवेदन के पैरा 2.4.4 में उल्लिखित)। 132 मामलों में से, आयकर विभाग ने ₹ 213.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले 102 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण की है तथा ₹ 51.48 करोड़ के कर प्रभाव वाले 14 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की।

## **4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता**

**4.2.1** एओ ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में चूक की थी। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग की आन्तरिक नियंत्रणों में निरन्तर कमी को दर्शाते हैं जिसे प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की अवहेलना करते हुए निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने निर्धारणों में त्रुटियां की। आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियों वाले गलत निर्धारण के मामलों को केलकुलेटर और कम्प्यूटर के समय में मात्र त्रुटियों के रूप में स्वीकार करना कठिन है। इसके अतिरिक्त कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना, ब्याज के उद्ग्रहण में चूकें, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि के उद्ग्रहण में गलतियां या तो अदक्षता अथवा गलती के साथ-साथ आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रण में कमियों की ओर इंगित करते हैं जिसे सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है। आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या ध्यान में आए अनियमितताओं के दृष्टांत की गयी या हुई त्रुटियां हैं जिसमें की गई त्रुटियों वाले मामलों में

विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तालिका 4.1 उन चूकों की उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने निर्धारणों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियां	मामले	टीई	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	14	52.03	दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश
ख. कर, अधिभार आदि की दरों का गलत प्रयोग	24	163.66	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ	47	60.84	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, यूटी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
<b>कुल</b>	<b>85</b>	<b>276.53</b>	

#### 4.2.2 आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिये हैं:

*आयकर अधिनियम, 1961 में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी (एओ) को निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना चाहिए तथा कर या प्रतिदाय जैसा भी मामला हो, की सही राशि निर्धारित करनी चाहिए है।*

**4.2.2.1** सीआईटी (छूट) मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने ₹ 255.78 करोड़ की हानि पर मार्च 2016 में संवीक्षा के पश्चात नि.व. 2013-14 हेतु एओपी का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि निर्धारण आदेश में एओ ने 'वसूल न किए गए भूमि किराए हेतु बनाए गए प्रावधान' की वजह से ₹ 111.39 करोड़ की वृद्धि की थी। यद्यपि, निर्धारिती की करयोग्य आय संगणना करते समय ₹ 111.39 करोड़ के बजाय ₹ 1.11 करोड़ को जोड़ा गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 34.08 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 110.28 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (मार्च 2018)।*

**4.2.2.2** प्रधान सीआईटी शिमला प्रभार, हिमाचल प्रदेश में, एओ ने ₹ 2.15 करोड़ की आय पर फरवरी 2015 में अधिनियम की धारा 148 के साथ पठित धारा 143(3) के प्रावधान के तहत नि.व. 2010-11 के लिए एक निर्धारिती का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि निर्धारित आय

की संगणना करते समय, एओ ने ₹ 1.92 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 1.29 करोड़ पर 'व्यय पर आय की अधिकता' के आंकड़े लिए थे। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 30.95 लाख के कर प्रभाव के साथ ₹ 63 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (दिसम्बर 2017)।*

#### 4.2.3 कर तथा अधिक प्रभार की गलत दरों का प्रयोग

हमने ऐसे चार निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

*आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) में प्रावधान है कि सुसंगत वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार एक निर्धारित के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष हेतु आयकर प्रभार्य है। निर्धारण वर्ष 2008-09 से संबंधित वित्त अधिनियम यदि निवल आय ₹ दस लाख से अधिक हो, तो व्यक्तियों के संगठन (एओपी) के मामले में आयकर की दस प्रतिशत दर पर अधिक प्रभार के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करता है। इसी प्रकार, निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित वित्त अधिनियम यदि निवल आय ₹ एक करोड़ से अधिक हो, तो व्यक्तियों के संगठन (एओपी) अथवा स्थानीय प्राधिकरण के मामलों में आयकर के दस प्रतिशत की दर पर अधिक प्रभार के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करता है।*

**4.2.3.1** प्रधान सीआईटी पंचकूला प्रभार, हरियाणा में, एओ ने ₹ 1,733.09 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2015 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2014-15 के लिए एक स्थानीय प्राधिकरण का निर्धारण पूरा किया। इसके पश्चात्, सीआईटी (अपील) ने जनवरी 2017 में ₹ 377.29 करोड़ की राहत देने के पश्चात् ₹ 1,355.80 करोड़ की आय निर्धारित की। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि अपीलीय आदेश को लागू करते समय (फरवरी 2017), एओ ने संबंधित वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहण अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 50.87 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (दिसम्बर 2017)।*

**4.2.3.2** प्रधान सीआईटी-छूट लखनऊ प्रभार, उत्तर प्रदेश में, एओ ने ₹ 4.24 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2008-09 के लिए एओपी का निर्धारण पूरा किया जिसे बाद में ₹ 452.36 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 147 के तहत पुनः निर्धारित किया गया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि कर मांग की संगणना करते समय, एओ ने संबंधित वित्त अधिनियम प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 36.46 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (अक्टूबर 2017)।

**4.2.3.3** प्रधान सीआईटी कटक प्रभार, ओडिशा में, एओ ने ₹ 817.69 करोड़ की आय निर्धारित करके दिसम्बर 2016 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2014-15 हेतु एक स्थानीय प्राधिकरण का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि कर मांग की संगणना करते समय एओ ने संबंधित वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 33.60 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था। आयकर विभाग ने चूक को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) तथा यह कहा कि धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी।

**4.2.3.4** प्रधान सीआईटी-छूट, अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, एओ ने ₹ 436.16 करोड़ की आय निर्धारित करके दिसम्बर 2016 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2014-15 हेतु एक एओपी का निर्धारण पूरा किया। आयकर संगणना फॉर्म (आईटीएनएस-150) जिसका प्रणाली के माध्यम से सृजन किया गया था, की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि यद्यपि निर्धारिती की निर्धारित आय एक करोड़ रूपए से अधिक थी तथापि, प्रणाली ने निर्धारित आय के आयकर पर अधिभार उद्ग्रहित नहीं किया था। कर की सही राशि की गणना करने में प्रणाली की विफलता तथा कर की यथार्थता प्रमाणित करने के लिए एओ द्वारा चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 18.19 करोड़ के अधिभार का उद्ग्रहण नहीं हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (सितम्बर 2017)।

#### 4.2.4 ब्याज उद्ग्रहण में चूकें

हमने ऐसे पांच निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम 1961 समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूक हेतु ब्याज के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करता है। धारा 234ए निर्दिष्ट दरों तथा निर्दिष्ट समयावधि हेतु आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक की वजह से ब्याज के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करती है। धारा 234बी निर्दिष्ट दरों पर तथा निर्दिष्ट समयावधि हेतु अग्रिम कर का भुगतान करने में चूक की वजह से ब्याज के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करती है।

इसके अलावा, सभी आयकर (आईटी) विवरणियों को पहले संवीक्षा निर्धारणों से पूर्व केन्द्रीयकृत संसाधित केन्द्र (सीपीसी), बेंगलुरु पर धारा 143(1) के तहत सारतः संसाधित किया जाता है, इस प्रकार सार निर्धारणों से संबंधित सारा डाटा निर्धारण सूचना प्रणाली (एएसटी) में सीधा प्रविष्ट किया जाता है। संवीक्षा मामलों के संदर्भ में निर्धारण आदेश का संसाधन, सुधार, पूर्णता का कार्य सीपीसी से स्थानांतरित सभी विवरणियों के लिए एएसटी मॉड्यूल, आयकर विभाग मॉड्यूल के भाग में एओज द्वारा किया जाता है। एएसटी आयकर अधिनियम 1961

की विभिन्न धाराओं के तहत कर की संगणना, ब्याज की संगणना, समय बाधित चैक, कटौती सीमा वैधता, देय तिथि जांच आदि जैसे विभिन्न निर्धारण कार्यों को करता है। टीडीएस/टीसीएस तथा अग्रिम कर आदि के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा किए गए भुगतान फार्म 26एस आवेदन तथा ओएलटीएस आवेदन से क्रमशः ऑटो पोपुलेटिड है। क्षेत्रीय कार्यालयों में संवीक्षा निर्धारण, सुधार, अपील प्रभाव आदेशों के मामलों में, आंकड़े आदेशों के आधार पर एओ द्वारा सिस्टम में डाटा-फीड होते हैं। संवर्धनों के तहत आय के विभिन्न शीर्षों के अन्दर प्रविष्ट नए आंकड़ों के साथ, अंतिम मांग हेतु संगणना शीट सृजित की जाती है। यदि उक्त शीर्षों के मूल्य में एओ द्वारा कोई वृद्धि की जानी होती है तो सिस्टम के माध्यम से अगले उच्च प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होती है। यद्यपि एएसटी में उक्त शीर्षों के तहत मूल्य कम करने के लिए एओ द्वारा किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। एएसटी मॉड्यूल धारा 234ए/बी/सी/डी के तहत तथा शीर्ष 'संशोधित' के तहत 244ए के तहत ब्याज के मूल्य को संशोधित करने के लिए एओ को अनुमति देता है। ये मूल्य किसी उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना बदले (वृद्धि/कमी) किए जा सकते हैं। धारा 144 के तहत बेहतर निर्णय के अन्तर्गत किए गए निर्धारणों के मामलों में, डाटा को विभिन्न शीर्षों के तहत मानवीय रूप से प्रविष्ट किया जाता है यदि निर्धारिती नॉन-फाइलर्स हो तथा तदनुसार संगणना की जाती है। यदि निर्धारिती विलम्ब से फाइल करने वाला हो, धारा 148 नोटिस के पश्चात् आईटी रिटर्न फाइल की गई हो तो धारा 234ए/बी/सी के तहत ब्याज की संगणना संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए मूल देय तिथि के आधार पर की जाती है।

**4.2.4.1** प्रधान सीआईटी कटक प्रभार, ओडिशा में, एओ ने ₹ 38.14 करोड़ की आय निर्धारित करके अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के प्रावधानों के तहत मार्च 2016 में नि.व. 2008-09 के लिए एक फर्म का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि निर्धारिती फर्म ने न तो अधिनियम की धारा 139(1) के तहत अपनी आय की विवरणी भरी थी और न ही अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस की प्रतिक्रिया में इसे फाइल किया था। इस प्रकार, निर्धारिती अक्टूबर 2008<sup>89</sup> से मार्च 2016 तक 90 माह हेतु धारा 234ए के तहत ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। तथापि कर देयता की संगणना करते समय, एओ ने 90 माह के बजाय 12 माह के लिए ब्याज का उद्ग्रहण किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.11 करोड़ ब्याज का कम प्रभार हुआ। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ब्याज की राशि की गणना मानवीय रूप से की गई थी तथा इसे सिस्टम (एएसटी) में प्रविष्ट किया गया था। इस प्रकार एएसटी के माध्यम से ब्याज के मानवीय रूप से संशोधन करने के परिणामस्वरूप ब्याज का गलत उद्ग्रहण हुआ। यह स्पष्ट नहीं है कि मानवीय रूप से संशोधन क्यों अनुमत किया गया है वह भी स्पष्ट रूप से यदि अपवादात्मक मामलों में मानवीय रूप से हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो वरिष्ठ स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के प्रोटोकॉल के बिना वास्तव में यदि प्रत्येक

<sup>89</sup> नि.व. 2008-09 हेतु आय की रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि 30 सितम्बर 2008 थी।

स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो यह या तो खराब आईटी सिस्टम की ओर अथवा विवेकाधिकार बनाए रखने के जानबूझकर प्रयास की ओर बिना स्पष्ट कारण के इंगित करता है। यह इस तथ्य को भी इंगित करता है कि विलम्ब की अवधि की संगणना करने में प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। आयकर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2017) कि ब्याज की संगणना में गलती का सुधार अधिनियम की धारा 154 के तहत आरम्भ किया जा रहा था। *आयकर विभाग ने कहा (अक्टूबर 2017) कि ब्याज की गणना में चूक का सुधार अधिनियम की धारा 154 के तहत आरम्भ किया जा रहा था।*

**4.2.4.2** प्रधान सीआईटी-15 कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, एओ ने ₹ 20.12 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2016 में सर्वोत्तम निर्णय पद्धति<sup>90</sup> में नि.व. 2009-10 हेतु एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने नि.व. 2009-10 हेतु आय की अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी तथा अधिनियम की धारा 148 या 142(1) के तहत जारी नोटिस का उत्तर भी नहीं दिया था। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कर मांग की गणना करते समय, सिस्टम ने आय की रिटर्न फाइल न करने के लिए धारा 234ए के तहत ब्याज की गणना नहीं की क्योंकि एओ द्वारा विलम्ब की अवधि प्रविष्ट नहीं की गई थी। इसने यह दर्शाया कि धारा 234ए के तहत ब्याज की गणना करने में सिस्टम में कमी थी। एओ द्वारा विलम्ब की अवधि को प्रविष्टि करने की चूक के फलस्वरूप ₹ 6.08 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। आयकर विभाग को यह जांच करनी चाहिए कि एओ द्वारा त्रुटि क्यों की गयी और विधि के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2018)। ब्याज की गणना में चूक को अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारा गया है (दिसम्बर 2017)।* चूंकि लेखापरीक्षा योजना 2017-18 के दौरान केवल योजनागत और लेखापरीक्षित इकाइयों के सम्बन्ध में निर्धारण मामले हमने देखे हैं, मंत्रालय को ब्याज के उद्ग्रहण के सभी मामलों की जांच करने की आवश्यकता है और ना कि केवल लेखापरीक्षा में कवर की गयी इकाइयों से सम्बन्धित मामलों में।

**4.2.4.3** पीसीआईटी-17 प्रभार, दिल्ली में, एओ ने ₹ 11.92 करोड़ की आय तथा इस पर ₹ 4.05 करोड़ के कर को निर्धारित करके दिसम्बर 2016 में धारा 144 के तहत नि.व. 2009-10 हेतु एक फर्म का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने न तो नि.व. 2009-10 हेतु आय की अपनी रिटर्न भरी थी और न ही निर्धारण की तिथि तक धारा 148 के तहत जारी नोटिस के उत्तर में रिटर्न प्रस्तुत की

<sup>90</sup> आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147/143(3)/144 के तहत

थी, इस प्रकार, धारा 234ए के तहत ₹ 4.05 करोड़ के निर्धारित कर पर 87 माह हेतु ब्याज उद्ग्रहित किया जाना अपेक्षित था। आयकर गणना फार्म (आईटीएनएस-150) की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि यद्यपि आईटीएनएस को एएसटी के माध्यम से सृजित किया गया था तथापि, रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक हेतु ब्याज की एएसटी सिस्टम द्वारा गणना नहीं की गई थी जो इस तथ्य का संकेत देता है कि सिस्टम में रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक हेतु ब्याज की गणना करने में कमी थी। आईटीएनएस में दर्शाए गए ब्याज की यथार्थता को सत्यापित करने हेतु एओ द्वारा चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.53 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (मार्च 2018)।*

**4.2.4.4** प्रधान सीआईटी-केन्द्रीय, हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना राज्य में, एओ ने ₹ 10.19 करोड़ की आय निर्धारित करके दिसम्बर 2016 में नि.व. 2009-10 के लिए एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि धारा 234बी के तहत अग्रिम कर के भुगतान में चूक हेतु ब्याज की गणना एएसटी के माध्यम से नहीं अपितु मानवीय रूप से की गई थी तथा ₹ 3.17 करोड़ की सही राशि के बजाय गलती से ₹ 94.72 लाख का उद्ग्रहण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ के कर की कम मांग हुई। लेखापरीक्षा एएसटी के माध्यम के बजाय मानवीय रूप से आय तथा ब्याज पर कर की गणना करने के कारणों को सुनिश्चित नहीं कर सकी। आईटीएनएस में दर्शाए गए ब्याज की यथार्थता सत्यापित करने के लिए एओ द्वारा चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया गया (अक्टूबर 2017)।*

**4.2.4.5** प्रधान सीआईटी-2 चंडीगढ़ प्रभार में, एओ ने नि.व. 2008-09 तथा 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 3.55 करोड़ तथा ₹ 2.16 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के तहत एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने दोनों निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी फाइल नहीं की थी। निर्धारिती को मार्च 2015 में धारा 148 के तहत उसे नि.व. 2008-09 तथा 2009-10 हेतु अपनी आय की रिटर्न प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए थे। तथापि, निर्धारिती द्वारा निर्धारण की तिथि अर्थात् मार्च 2016 तक कोई उत्तर नहीं दिया गया था। चूँकि निर्धारिती ने नि.व. 2008-09 तथा 2009-10 हेतु अपनी आय की विवरणी फाइल नहीं की थी, अतः निर्धारिती धारा 234ए(1) के तहत नि.व. 2008-09 तथा 2009-10



हेतु क्रमशः ₹ 1.20 करोड़ तथा ₹ 72.34 लाख की कर देयता पर ₹ 1.10 करोड़ तथा ₹ 57.87 लाख की राशि के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। नि.व. 2008-09 तथा 2009-10 के आईटीएनएस-150 की लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि आईटीएनएस-150 की गणना एएसटी के माध्यम से नहीं अपितु दोनों निर्धारण वर्षों में मानवीय रूप से की गई थी तथा आय की विवरणी प्रस्तुत न करने हेतु धारा 234ए(1) के तहत ब्याज को प्रभारित करने की चूक हुई थी। लेखापरीक्षा एएसटी के माध्यम की बजाय मानवीय रूप से आय पर कर तथा ब्याज की गणना करने के कारणों को सुनिश्चित नहीं कर सका। इसके फलस्वरूप नि.व. 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान अधिनियम की धारा 234(1) के तहत ₹ 1.68 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2019)। अधिनियम की धारा 154 के तहत ब्याज की गणना में चूक का सुधार किया गया है (फरवरी 2017)।*

**4.2.4.6** जबकि मंत्रालय ने इन मामलों में सुधार करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की है, यह उल्लेख किया जाता है कि ये मात्र कुछेक निदर्शी मामले हैं। समस्त निर्धारणों के पूरे यूनीवर्स में, गैर-संवीक्षा निर्धारणों सहित, कई और मामलों में ऐसी त्रुटियां होने या किए जाने की पूरी संभावना है। सीबीडीटी को न केवल अपने निर्धारणों की पुनः जांच करने की आवश्यकता है बल्कि इस प्रकार की त्रुटियों को समाप्त करने के लिए एक त्रुटिरहित आईटी सिस्टम और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी रखने की आवश्यकता है।

प्रत्यक्ष कर के लिए आईटी प्रणाली को इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि निर्धारिती तथा आयकर अधिकारियों के मध्य शून्य या कम से कम व्यक्तिगत सम्पर्क हो। सरकार प्रत्यक्ष करों के लिए आईटी प्रणाली को सीबीडीटी से एक उचित दूरी पर, एक स्वतंत्र सरकारी संस्था या संगठन के साथ रखने पर विचार कर सकती है।

### **4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन**

**4.3.1** आयकर अधिनियम, 1961 अध्याय VI-ए के तहत कुल आय की संगणना करने में तथा इसके सुसंगत प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए निर्धारिती को रियायतों/छूटों/कटौतियाँ अनुमत करता है। हमने पाया कि एओ ने अयोग्य लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के अनियमित लाभ दिए हैं। ये अनियमितताएं आयकर विभाग की ओर से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन की कमजोरी को दर्शाते हैं जिन्हें संबोधित किया जाना आवश्यक है। आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या पाए गए अनियमितताओं के दृष्टांत की गयी अथवा हुई त्रुटियां हैं तथा त्रुटियों वाले

मामलों में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तालिका 4.2 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन को प्रभावित किया है।

तालिका 4.2: कर रियायतों कटौतियों/छूटों के प्रशासन के तहत व्रुटियों की उप-श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियां/राहत	02	0.58	महाराष्ट्र और तमिलनाडु
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों/एओपीज को दी गई अनियमित छूट/कटौती/ राहत	06	3.66	गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
ग. व्यापार व्यय की गलत अनुमति	11	25.80	असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
घ. मूल्यहास/व्यवसायिक हानियों/ पूंजीगत हानियों को स्वीकृत करने में अनियमितताएं	07	9.19	बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल
<b>कुल</b>		<b>26</b>	<b>39.23</b>

#### 4.3.2 व्यक्तियों को अनियमित छूटें/कटौतियां/राहत

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 एफ की उप-धारा (i) के अंतर्गत उप-धारा (4) के प्रावधानों के विषयाधीन, जहां निर्धारिती एक व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार हो, के मामले में, कि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति, जो आवासीय न हो के हस्तांतरण से पूंजीगत लाभ अर्जित हो (यहां से आगे इस धारा में मूल परिसंपत्ति के रूप में संदर्भित) और निर्धारिती द्वारा जिस दिनांक को हस्तांतरण हुआ हो उससे पूर्व एक वर्ष की अवधि के या दो वर्षों के पश्चात था, आवासीय घर (यहां से आगे धारा में नई परिसंपत्ति के रूप में संदर्भित) निर्माण की तिथि के तीन वर्षों की अवधि के भीतर पूंजीगत लाभ का निपटान इस धारा को निम्नलिखित, प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। (क) यदि नई सम्पत्ति की लागत कुल सम्पत्ति लाभ पूंजीगत निवल प्रतिफल वास्तविक सम्पत्ति के संबंध में कम नहीं है तब इस सम्पूर्ण पूंजीगत लाभ पर धारा 45 के अंतर्गत शुल्क नहीं लिया जाएगा (ख) यदि नई सम्पत्ति की लागत मूल परिसंपत्ति के संबंध में निवल प्रतिफल कम है तब, सम्पूर्ण पूंजीगत का लाभ वहन इस प्रकार होगा जैसे निवल विचारार्थ कुल पूंजीगत लाभ के समान अनुपात में वहन होगा जैसे वही नई सम्पत्ति का प्रतिफल धारा 45 के तहत शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि इस उप-धारा में कुछ भी निहित नहीं होने पर भी लागू होगा जहां. (क) निर्धारिती..... (i) मूल सम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथि को नई सम्पत्ति के अतिरिक्त स्वयं का एक से अधिक आवासीय घर हो; अथवा (ii) वास्तविक सम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथि के एक वर्ष की अवधि के दौरान नई सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य आवासीय घर खरीदा हो; अथवा (iii) वास्तविक सम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथि के तीन वर्ष

की अवधि के पश्चात नई सम्पत्ति के अतिरिक्त कोई आवासीय घर का निर्माण किया हो; और (ख) मूल सम्पत्ति के हस्तांतरण की तिथि से स्वयं के आवासीय घर के अतिरिक्त उस आवासीय घर की आय "उस घर की सम्पत्ति से आय" इस मद के अन्तर्गत भारित होगी।

**4.3.2.1** प्रधान सीआईटी-7 चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में, एओ ने ₹ 61.77 लाख की आय निर्धारित करके नवम्बर 2016 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2014-15 हेतु एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि निर्धारिती ने खाली भूमि की बिक्री से ₹ 82.46 लाख का दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) अर्जित किया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2013-14 में पहले किए दावे में धारा 54एफ की उप-धारा(3) के तहत छूट को वापिस लेकर ₹ 20.08 लाख का एलटीसीजी का प्रस्ताव दिया था। निर्धारिती ने दावा किया तथा वर्ष हेतु ₹ 1.03 करोड़ (₹ 82.46 लाख जमा ₹ 20.08 लाख) की राशि के कुल एलटीसीजी के प्रति धारा 54एफ के तहत छूट स्वीकृत की थी क्योंकि निर्धारिती ने गृह सम्पत्ति का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि धारा 54एफ के तहत निर्धारिती छूट हेतु योग्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती के पास पहले ही स्व धारित सम्पत्ति के अलावा अन्य दो आवासीय गृह सम्पत्ति थी। चूँकि निर्धारिती ने धारा 54एफ के तहत छूट हेतु निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया था, इसलिए धारा 54एफ के तहत स्वीकृत छूट क्रमानुसार नहीं थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 23.24 लाख के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित ₹ 1.03 करोड़ की छूट की गलत स्वीकृति हुई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2019) तथा धारा 148 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की (जनवरी 2019)।

#### **4.3.3 ट्रस्टों/फर्मों/सोसायटियों/एओपीज को अनियमित छूटें/कटौतियां/राहत**

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10ए(1ए) निर्दिष्ट कुछ शर्तों के अधीन दस क्रमागत वर्षों की अवधि के लिए एक मद या वस्तु या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से एक उपक्रम से उत्पन्न लाभ एवं प्राप्ति की कटौती हेतु प्रावधान करती है। तथापि इस धारा के तहत कटौती केवल नि.व. 2011-12 तक उपलब्ध है।

**4.3.3.1** प्रधान सीआईटी गाजियाबाद प्रभार, उत्तर प्रदेश में, एओ ने जनवरी 2015 तथा दिसम्बर 2015 में क्रमशः ₹ 3.22 करोड़ तथा ₹ 3.87 करोड़ की आय निर्धारित करके संवीक्षा के पश्चात फर्म का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि एओ ने अधिनियम की धारा 10ए (1ए) के तहत निर्धारिती को नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 1.59 करोड़ तथा नि.व. 2013-14 के लिए ₹ 0.22 करोड़ की कटौती स्वीकृत की थी जबकि इस धारा के तहत कटौती

नि.व. 2011-12 तक उपलब्ध थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 74.72 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 1.81 करोड़ की कटौती की अनियमित स्वीकृति हुई। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2018) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (नवम्बर 2017)।

#### 4.3.4 व्यवसायिक व्यय की गलत स्वीकृति

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिए हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के तहत प्रावधान के अनुसार, किसी अशोध्य ऋण या उसके भाग जिसे पिछले वर्ष हेतु निर्धारिती के खातों में अवसूलीयोग्य के रूप में बट्टे खाते में डाला गया है, की राशि कटौती योग्य है, बशर्ते कि निर्धारिती जिस पर धारा 36(1) का खण्ड (vii) लागू होता है, के मामले में ऐसा कोई ऋण या उसके भाग से संबंधित कटौती की राशि उस राशि तक सीमित होगी जिससे ऐसा ऋण या उसका भाग इस खण्ड के तहत बनाए अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋण खाते के लिए प्रावधान में क्रेडिट शेष से अधिक होती है। इसके अलावा धारा 36 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) में यह प्रावधान है कि जहां ऐसा ऋण अथवा ऋण का भाग उस एक निर्धारिती द्वारा दिए अग्रिमों से संबंधित है जिसके लिए उप-धारा (1) का खण्ड (vii) लागू होता है, वहां ऐसी कटौती तब तक स्वीकृत नहीं होगी जब तक निर्धारिती उस खण्ड के तहत बनाए अशोध्य तथा संदेहात्मक ऋण खाते के लिए प्रावधान हेतु उस पिछले वर्ष में ऐसे ऋण या ऋण के भाग की राशि को डेबिट न करें।

4.3.4.1 प्रधान सीआईटी कटक प्रभार, ओडिशा में, एओ ने ₹ 23.28 करोड़ की कुल आय निर्धारित करके दिसम्बर 2016 में नि.व. 2014-15 हेतु सहकारी बैंक का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि एओ ने 'एक बारगी निपटान' (ओटीएस) पर हानि के प्रति ₹ 17.03 करोड़ के एक व्यय को स्वीकृत किया था जो कुछ नहीं था अपितु वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया अशोध्य ऋण था। निर्धारिती ने दावा किया था तथा ओटीएस के प्रति अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के तहत कटौती प्रदान की थी, यद्यपि यह अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋण खाते के लिए प्रावधान में ₹ 38.43 करोड़ के क्रेडिट शेष से अधिक नहीं थी। बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण को स्वीकार करने में अधिनियम के प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 7.89 करोड़ के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 17.03 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2018) तथा यह बताया कि अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी(एफ) के अनुसार अवकाश नकदीकरण हेतु बनाया गया कोई प्रावधान केवल तभी स्वीकार्य होता है जब इसका भुगतान वास्तव में किया जाता है। इसके अलावा, सीबीडीटी ने दिनांक 26.11.2008 को 2008 की निर्देश संख्या 17 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि अधिनियम की धारा 37 यह परिकल्पित करती है कि एक उपार्जित अथवा सुनिश्चित देयता के संदर्भ में लाभ एवं हानि खाते में डेबिट की गई राशि एक स्वीकार्य कटौती होती है जबकि किसी अनिश्चित देयता या ऐसी देयता जो उपार्जित न हुई हो, के संदर्भ में कोई प्रावधान कटौती के योग्य नहीं है।

**4.3.4.2 प्रधान सीआईटी ।** पटना प्रभार, बिहार में, एओ ने ₹ 16.35 करोड़ की आय निर्धारित करके फरवरी 2016 में संवीक्षा के पश्चात नि.व. 2013-14 हेतु एक सहकारी समिति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि निर्धारिती ने दावा किया था तथा तदर्थ आधार पर लेखाबहियों में अवकाश नकदीकरण के प्रति बनाए गए प्रावधान की वजह से ₹ 8.50 करोड़ का व्यय स्वीकृत किया था। चूँकि तदर्थ आधार पर बनाया गया प्रावधान एक निश्चित देयता नहीं था अतः इसे अस्वीकृत करना अपेक्षित था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.55 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण को शामिल करते हुए ₹ 8.50 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ की (मार्च 2018)।

#### **4.3.5 मूल्यहास/व्यवसाय हानियों/पूँजीगत हानियों को स्वीकृत करने में अनियमितताएं**

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 के तहत, जहां शीर्ष 'व्यवसाय अथवा कारोबार के लाभ एवं प्राप्तियां' निर्धारिती की हानि है तथा ऐसी हानि का संबंधित वर्ष के किसी अन्य शीर्ष के तहत आय के प्रति पूर्ण रूप से समंजन नहीं किया जा सकता है, समंजन न की गई ऐसी अधिक हानि को उन वर्षों के व्यवसाय तथा कारोबार के लाभ तथा प्राप्तियों के प्रति समंजन किए जाने के लिए आगामी निर्धारण वर्ष/वर्षों में अग्रेषित किया जाएगा।

**4.3.5.1 प्रधान सीआईटी-32 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में,** एओ ने नि.व. 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 से संबंधित ₹ 9.33 करोड़ की अग्रेषित हानियों का समंजन स्वीकार करने के पश्चात् ₹ 41.42 लाख की आय पर नवम्बर 2016 में नि.व. 2014-15 हेतु एक फर्म का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि नि.व. 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 हेतु निर्धारण क्रमशः ₹ 26.38 लाख, ₹ 33.41 लाख तथा ₹ 13.26 लाख की आय पर पूरा हुआ। इस प्रकार, नि.व. 2014-15 हेतु निर्धारित आय के प्रति समंजन हेतु उपलब्ध अग्रेषित हानियां नहीं थी। अग्रेषित हानियों के गलत समंजन के

परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.18 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण को शामिल करते हुए ₹ 9.33 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।

#### 4.4 चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय

**4.4.1** आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान है कि किसी पिछले वर्ष हेतु एक व्यक्ति की कुल आय में वास्तविक रूप से प्राप्त अथवा उपार्जित सभी आय चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, अथवा प्राप्त या उपार्जित होने के लिए मानी गई आय सम्मिलित होगी। हमने अवलोकन किया कि एओज ने उस कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया जिसे कर हेतु प्रस्तुत करना अपेक्षित था। तालिका 4.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण से वंचित हुई।

तालिका 4.3: चूकों की वजह से निर्धारण से वंचित आय के तहत चूकों की उप-श्रेणियां (₹ करोड़ में)			
उप-श्रेणियां	संख्या	टीई	राज्य
क. पूंजीगत प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण तथा संगणना	08	3.79	हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु
ख. आय की गलत संगणना	02	0.92	असम और गुजरात
ग. विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय	01	0.22	जम्मू एवं कश्मीर
घ. उल्लेख न किए गए निवेश/नकद क्रेडिट	01	0.23	हरियाणा
<b>कुल</b>	<b>12</b>	<b>5.16</b>	

#### 4.4.2 पूंजीगत प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण तथा संगणना

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 45(1) के अनुसार, पूंजीगत परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ अथवा प्राप्तियां शीर्ष "पूंजीगत प्राप्तियां" के तहत कर हेतु प्रभार्य हैं। इसे उस पिछले वर्ष की आय माना जाता है जिसमें पूंजीगत परिसम्पत्ति का हस्तांतरण किया गया है। अचल परिसम्पत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत प्राप्तियां उस पिछले वर्ष में कर हेतु प्रभार्य होती हैं जिसमें स्वामित्व के हस्तांतरण के प्रभाव को सूचित तथा पंजीकृत किया गया हो। इसके अलावा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 112 के अनुसार एक व्यक्तिगत या एक हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में, दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्तियों पर कर की दर 20 प्रतिशत है तथा यह अधिक प्रभार, शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर के अधीन है।

**4.4.2.1** प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), पटना प्रभार झारखण्ड में, एओ ने ₹ 3.55 करोड़ की आय निर्धारित करके मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 153ए के तहत नि.व. 2012-13 हेतु एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, निर्धारिती ने नि.व. 2012-13 के संबंध में 2011-12 के दौरान एक पैतृक सम्पत्ति (भूमि) की बिक्री पर ₹ 3.54 करोड़ की दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्तियां की थी। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि कर मांग की संगणना करते समय, एओ ने गलती से बीस प्रतिशत की लागू दर पर ₹ 1.39 करोड़ के कर की उद्ग्रहण राशि के बजाय दस प्रतिशत की दर पर ₹ 3.54 करोड़ की दीर्घावधि पूंजीगत प्राप्तियों पर ₹ 54.19 लाख का कर उद्ग्रहित किया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 84.94 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2018) तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (अप्रैल 2017)।

#### 4.4.3 आय की गलत संगणना

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

धारा 145(3) यह प्रावधान करती है कि जहां निर्धारण अधिकारी (एओ) निर्धारिती के लेखों की यथार्थता अथवा पूर्णता के विषय में संतुष्ट नहीं होता अथवा जहां निर्धारिती द्वारा उप-धारा (1) में प्रदत्त लेखांकन पद्धति का अनुसरण नियमित रूप से नहीं किया जाता अथवा आय की संगणना उप-धारा (2) के तहत अधिसूचित मानकों के अनुसार नहीं की जाती, वहां एओ धारा 144 में प्रदत्त तरीके से निर्धारण कर सकता है। इसके अलावा धारा 144 यह प्रावधान करती है कि सभी संबंधित सामग्री जो एक एओ एकत्रित करता है, पर विचार करने के पश्चात् निर्धारिती को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद एओ अपने बेहतर निर्णय अनुसार कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा तथा ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय अथवा उसको प्रतिदेय सही राशि निर्धारित करेगा।

**4.4.3.1** प्रधान सीआईटी-4 अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, एओ ने ₹ 1.34 करोड़ की आय निर्धारित करके नवम्बर 2015 में धारा 144 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत नि.व. 2013-14 के लिए एक फर्म का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि एओ ने धारा 145(3) के तहत लेखा बहियां अस्वीकृत की थी तथा निर्धारिती की आय ₹ 16.75 करोड़ की सकल प्राप्तियों के आठ प्रतिशत की दर पर ₹ 1.34 करोड़ पर निर्धारित की थी। तथापि एओ ने कराधार हेतु अन्य स्रोत से हो रही ₹ 1.95 करोड़ की आय की ब्याज आय पर विचार नहीं किया। इस चूक के फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 79.58 लाख के कर के परिणामी कम उद्ग्रहण सहित ₹ 1.95 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया



(जनवरी 2019) तथा अधिनियम की धारा 147 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (सितम्बर 2018)।

#### 4.4.4 विशेष प्रावधान के तहत निर्धारित न की गई आय

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115जेसी में यह प्रावधान है कि जहां एक कम्पनी के अलावा एक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष हेतु देय नियमित आयकर उस पिछले वर्ष हेतु देय वैकल्पिक न्यूनतम कर से कम होता है, वहां समायोजित कुल आय को उस पिछले वर्ष हेतु व्यक्ति की कुल आय माना जाएगा तथा वह साढ़े अठारह प्रतिशत की दर पर उस कुल आय पर आय कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

**4.4.4.1** प्रधान सीआईटी जम्मू प्रभार, जम्मू एवं कश्मीर में, एओ ने ₹ 1.59 लाख की आय पर अक्टूबर 2016 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2014-15 हेतु एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया था। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि लाभ एवं हानि खाते के अनुसार निर्धारिती का निवल लाभ ₹ 1.03 करोड़ था। निर्धारिती ने निवल लाभ के प्रति अग्रेषित व्यवसाय हानियों तथा अनावशेषित मूल्यहास को समायोजित करने के पश्चात् 'शून्य' आय पर 18 मार्च 2015 को नि.व. 2014-15 हेतु संशोधित विवरणी फाइल की थी। चूँकि विशेष प्रावधानों के तहत देय वैकल्पिक न्यूनतम कर पिछले वर्ष हेतु देय नियमित आयकर से अधिक था अतः एक कम्पनी के अलावा अन्य व्यक्ति पर लागू धारा 115जेसी के तहत विशेष प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती कर लगने का पात्र था। तथापि, संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने धारा 115जेसी के तहत विशेष प्रावधानों के अनुसार वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना नहीं की। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 21.61 लाख के वैकल्पिक न्यूनतम कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।

#### 4.4.5 उल्लेख न किए गए निवेश/नकद क्रेडिट

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 68 के अनुसार, जहां एक निर्धारिती की पिछले किसी वर्ष हेतु अनुरक्षित लेखा बहियों में किसी राशि का क्रेडिट पाया जाता है तथा निर्धारिती इसकी प्रकृति और स्रोत के विषय में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी के मत से संतोषजनक न हो, वहां क्रेडिट की गई ऐसी राशि पर उस पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय के अनुसार आयकर प्रभारित किया जा सकता है।

**4.4.5.1** सीआईटी (छूट) चण्डीगढ़ प्रभार, हरियाणा में एओ ने ₹ 4.68 लाख की आय पर मार्च 2015 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2012-13 हेतु एओपी का निर्धारण पूरा किया। नि.व. 2012-13 हेतु आय तथा व्यय लेखे के अनुसार,



₹ 91.35 लाख की प्राप्ति के प्रति, ₹ 67.88 लाख का व्यय ₹ 23.47 लाख की अधिशेष प्राप्ति को छोड़ते हुए किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि निर्धारिती ने 31 मार्च 2012 तक तुलन पत्र (अनुसूची VI) में देय विश्वविद्यालय फीस के वास्ते ₹ 55.36 लाख की देयता दर्शाई थी। पिछले वर्ष के दौरान किए गए ₹ 0.35 लाख के समान प्रावधान की कटौती करके, नि.व. 2012-13 हेतु विश्वविद्यालय फीस की देयता ₹ 55.01 लाख संगणित की गई। चूँकि विश्वविद्यालय फीस के वास्ते व्ययों को लाभ तथा हानि खाते के माध्यम से नहीं भेजा गया था, अतः यह स्पष्ट हुआ कि विश्वविद्यालय फीस के वास्ते प्राप्तियों को हिसाब में नहीं लिया गया था। इस प्रकार, ₹ 55.01 लाख पर देय व्ययों के समान राशि को उल्लेख न किए गए नकद क्रेडिट के रूप में माना जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 23.12 लाख के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 55.01 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 147 के तहत चूक का सुधार किया (जून 2017)।

#### 4.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

4.5.1 हमने दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूटी चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 10.12 करोड़ के कर/ब्याज के अधिक प्रभार वाले नौ मामलों में आय का अधिक निर्धारण पाया। हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं।

4.5.1.1 प्रधान सीआईटी छूट लखनऊ प्रभार, उत्तर प्रदेश में एओ ने ₹ 200.84 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में संवीक्षा के पश्चात नि.व. 2013-14 हेतु स्थानीय प्राधिकरण का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से यह पता चला कि कर मांग की संगणना करते समय एओ ने धारा 234ए के तहत ₹ 4.34 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण इस तथ्य के बावजूद किया था कि निर्धारिती ने नियत तिथि के अन्दर अपनी आय की विवरणी भरी थी। चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए के तहत ₹ 4.34 करोड़ के ब्याज का अधिक प्रभार हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2019) और अधिनियम की धारा 154 के तहत (जनवरी 2017) चूक का सुधार किया।*

4.5.1.2 प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय), भोपाल प्रभार, मध्यप्रदेश में, एओ ने ₹ 7.55 करोड़ की आय पर जनवरी 2017 में अधिनियम की धारा 245डी (4) के तहत आयकर निपटान आयोग के आदेश को लागू करने के बाद नि.व. 2013-14 के लिए एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। आयकर संगणना फॉर्म (आईटीएनएस-150) जो एएसटी के माध्यम से सृजित नहीं था अपत्ति

मैनुअल रूप से तैयार किया गया था, की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आय की विवरणी फाइल करने में चूक हेतु ₹ 1.34 करोड़ की राशि के ब्याज का उद्ग्रहण गलती से इस तथ्य के बावजूद किया गया कि निर्धारिती ने 30 सितम्बर 2013 की रिटर्न फाइल करने की निश्चित तिथि के प्रति 29 सितम्बर 2013 को अपनी आयकर रिटर्न भरी थी। लेखापरीक्षा एएसटी के बदले आय पर कर और ब्याज की संगणना करने के लिए मैनुअल रूप से करने के कारणों को सुनिश्चित नहीं कर पाया। चूक के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 234ए के तहत ₹ 1.34 करोड़ के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ। *अधिनियम की धारा 154 के तहत आयकर विभाग ने ब्याज की संगणना में चूक का सुधार किया।(जून 2017)*

**4.5.1.3** प्रधान सीआईटी अलवर प्रभार, राजस्थान में एओ ने ₹ 8.64 करोड़ की आय निर्धारित करके नवम्बर 2016 में धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के तहत नि.व 2010-11 में एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एओ ने निर्धारिती द्वारा बैंक में जमा की गई नकदी के कारण निर्धारिती के आय में ₹ 6.96 करोड़ की वृद्धि की थी। तथापि निर्धारिती की कुल आय की संगणना करते समय एओ ने गलती से ₹ 6.96 करोड़ की सही राशि के बदले ₹ 8.62 करोड़ की राशि स्वीकार की। चूक के फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.31 करोड़ की कर प्रभाव वाली ₹ 1.66 करोड़ आय का अधिक निर्धारण हुआ। *आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अधिनियम की धारा 154 के तहत चूक का सुधार किया (अक्टूबर 2017)।*

#### **4.6 निष्कर्ष**

- (i) निर्धारण अधिकारियों (एओ) ने अधिनियम में प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना करते हुए निर्धारणों में त्रुटियां कीं। आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियों वाले गलत निर्धारणों के मामले केलकुलेटर और कम्प्यूटर के समय में मात्र त्रुटियों के रूप में स्वीकार किए जाने कठिन हैं। इसके अतिरिक्त कर और अधिभार की गलत दरों का लागू करना, ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां अधिक अथवा अनियमित प्रतिदाय आदि या तो अक्षमता अथवा गलती की और साथ ही आयकर विभाग में आंतरक नियंत्रणों में कमियों की और इंगित करते हैं जिसे सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है। मौजूदा संवीक्षा निर्धारण पद्धति अपारदर्शी है।

- (ii) एएसटी मॉड्यूल ब्याज राशी के मानवीय रूप से संशोधन को अनुमत करता है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की संगणना में गलतियां हुईं। आयकर विभाग को एएसटी के माध्यम से ब्याज की संगणना में त्रुटियों के कारणों और आईटी सिस्टम में सह-विद्यमान मानवीय रूप से किए गए संशोधनों को अनुमत करने वाले कारणों की जांच करने की आवश्यकता है। आयकर विभाग यह सुनिश्चित करे कि क्या पायी गयी अनियमितताओं के दृष्टांत की गयी त्रुटियां हैं और ऐसे मामलों में विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- (iii) त्रुटियों की पुनरावृत्ति के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग को ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारी कदम उठाने चाहिए।

